निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 749) पटना, शुक्रवार, 16 सितम्बर 2016

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना
30 दिसम्बर 2015

सं0 3131—**श्री कौशल किशोर जानकी मंदिर, फतेहगंज, जिला– गया** पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 4320 है।

पर्षद कार्यालय को श्री द्वारिका दास चेला 1008 स्व0 राम किशोर दास, मोहल्ला–फतेहगंज श्री कौशल किशोर जानकी मंदिर, थाना–गया कोतवाली, जिला– गया ने अपने आवेदन दिनांक 04/12/2012 द्वारा सूचित किया कि इस मंदिर में वे विगत 25 वर्षों से पूजा–पाठ कर रहे हैं एवं कुछ लोग उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिये हैं। अपनी आयु इन्होंने 70 वर्ष बताई है। उनके आवेदन पर पर्षदीय पत्रांक– 1665, दिनांक 17/12/2012 द्वारा अंचलाधिकारी, गया सदर, जिला–गया को इस संबंध में छानबीन कर मंदिर की वर्त्तमान स्थिति, प्रबंधन के संबंध में प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया गया। अचंलाधिकारी, नगर गया ने अपने पत्रांक–1647, दिनांक 22/06/2015 जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया, जिसमें लिखा गया कि श्री प्रभु दास गुरू 108 श्री संत दास ने मंदिर के बहुत से सामानों एवं मंदिर की जमीन को बेचकर, यहां से भागकर हाथरस ठाकुरबाड़ी, पो0– मथुरा, उत्तरप्रदेश चले गये। प्रतिवेदन में यह भी लिखा गया कि द्वारिका दास ने 20–25 वर्षों से जीर्ण–शीर्ण मंदिर को का पुर्ननिर्माण मंदिर की भूमि को बेचकर, दो लाख रूपये में किया। प्रतिवेदन के साथ मंदिर की भूमि का विवरण भी संलग्न किया गया। पर्षदीय पत्रांक–1001, दिनांक 29/08/2013 के माध्यम से न्यास की प्रकृति एवं खतियान की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध अंचल पदाधिकारी से किया गया। अंचलाधिकारी ने अपने पत्रांक–802, दिनांक 02/04/2014 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने हुए खतियान की छायाप्रति भी संलग्न की। साथ ही पूजारी श्री द्वारिका दास ने भी खतियान की छायाप्रति एवं जमीन से संबंधित अन्य दस्तावेज पर्षद कार्यालय में समर्पित किया। इसके उपरांत इस न्यास का निबंधन पर्षद के अन्तर्गत किया गया एवं पर्षदीय पत्रांक–482, दिनांक 17/07/2014 द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु अंचलाधिकारी, नगर गया से ग्यारह व्यक्तियों के नाम की सूची मंतव्य के साथ प्रेषित करने का अनुरोध किया गया। पुनः पर्षदीय पत्रांक–912, दिनांक 18/06/2015 द्वारा अंचलाधिकारी, नगर गया को स्मार–पत्र प्रेषित किया गया, जिसके अनुपालन में अंचलाधिकारी, नगर गया ने अपने पत्रांक–1584, दिनांक 09/09/15 द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु नाम प्रेषित की।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा–32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''**श्री कौशल किशोर जानकी**

मंदिर, फतेहगंज, जिला– गया'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री कौशल किशोर जानकी मंदिर न्यास योजना,** फतेहगंज, जिला–गया'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री कौशल किशोर जानकी मंदिर न्यास समिति,** फतेहगंज, जिला–गया'' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:–

(1)	अंचलाधिकारी, नगर, गया	–	पदेन अध्यक्ष
(2)	श्री द्वारिका दास चेला– स्व0 श्री 1008 राम किशोर दास	–	कार्यकारी अध्यक्ष
(3)	श्री सियाराम दास चेला– स्व0 श्री 1008 जय राम दास	–	सचिव
(4)	श्री कान्त प्रसाद पिता– स्व0 वालेश्वर राम, फतेहगंज	–	कोषाध्यक्ष
(5)	श्री प्रमोद कुमार नवदिता पिता– स्व0 जगदिश प्र0, फतेहगंज	–	सदस्य
(6)	श्री निकु कुमार पिता– श्री विमल प्रसाद, फतेहगंज	–	''
(7)	श्री शंभु यादव पिता– स्व0 केशर यादव, फतेहगंज	–	''
(8)	श्री अजय प्रसाद पिता– स्व0 मुरारी सेठ, रमना रोड, गया	–	''
(9)	श्री विनोद कुमार वर्णवाल पिता– स्व0 ललन प्र0 वर्णवाल	–	''
(10)	श्री गोपाल प्रसाद पिता– स्व0 प्रमेश्वर प्र0, फतेहगंज	–	''
(11)	श्री रिंकु कुमार पिता– अशोक कुमार, फतेहगंज	–	''

12. इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा एवं कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति भंग की जा सकती है।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 749–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in